राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या –2703/2016/उदयपुर
2. निगरानी संख्या –2704/2016/उदयपुर
3. निगरानी संख्या –2705/2016/उदयपुर

फॉक्स वेगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, उदयपुर .....प्रार्थी

बनाम्

उपमहानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक विभाग, उदयपुर .....अप्रार्थी

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ललित सावंत

अधिकृत प्रतिनिधि। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा

उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 30.05.2018

निर्णय

1 यह तीनों प्रार्थना पत्र प्रार्थी कम्पनी द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय किये गये स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प का रिफण्ड चाहा है।

2. उक्त तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प जरिये उपमहानिरीक्षक कार्यालय उदयपुर से क्रय किये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रकरण संख्या	स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प क्रय की दिनांक	स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प क्रय का मूल्य
2703/2016	17.05.2016	39450/–
2704/2016	14.07.2016	142950/–
2705/2016	16.05.2016	64900/–

उक्त स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प का उपभोग नहीं हो पाने के फलस्वरूप प्रार्थी कंम्पनी में उनको निरस्त करवाने एवं उनका रिफण्ड प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 60 के तहत मय मूल स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

लगातार.....2.

5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन रहा है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 17.05.2016 को रू0 39,450/– दिनांक 14.07.2016 को राशि रूपये 1,42,950/– एवं दिनांक 16.05.2016 को राशि रूपये 64,900/– के स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प क्रय किये गये। उक्त स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प प्री प्रिन्टेड एग्रीमेन्ट पर लगा दिये गये थे किन्तु इन एग्रीमेन्ट पर अधिक मूल्य से स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गयी है। इस लिये ये स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प का प्रार्थी कम्पनी के उपयोग में नहीं आ सके। अतः नियमानुसार उक्त राशियों का रिफण्ड प्राप्त करने का प्रार्थी कम्पनी हकदार है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में यह कथन रहा है कि राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की खण्डपीठ द्वारा निगरानी संख्या 866/2013/जयपुर में निर्णय दिनांक 20.04.2017 में उपयोग में नहीं आये एडहेसिव स्टाम्प को रिफण्ड योग्य माना है। अतः प्रार्थी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तीनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर स्पेशल एडहेसिव स्टाम्पों का रिफण्ड करने का निवेदन किया गया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय किये गये स्टाम्प उपभोग करने चाहिये थे। उपभोग नहीं करने की स्थिति में वो रिफण्ड प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी कम्पनी की तीनो निगरानियां अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. इस संबध में अधिनियम की धारा 60 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार है–

60. Allowance in case of printed forms no longer required by corporations - The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf may, without limit of time, make allowance for stamped papers used for printed form of instruments by any banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any sufficient reason such forms have ceased to be required by the said banker, company or body corporate : Provided that such authority is satisfied that the duty in respect of such stamped papers has been duly paid.

इस प्रकार छपे हुए प्रारूपों पर उपयोग लाये गए स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प के पर्याप्त कारण से अपेक्षित नहीं होने पर रिफण्ड हेतु आवेदन Chief Controlling Revenue Authority या उसके द्वारा कलेक्टर को सशक्त किया जा सकता है। Chief Controlling Revenue Authority राजस्थान कर बोर्ड है। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों में धारा 60 के तहत् राजस्थान कर बोर्ड को मूल अधिकारिता है। वर्तमान प्रकरणों में प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 17.05.2016 को रू0 39,450/– दिनांक

लगातार.....3.

14.07.2016 को राशि रूपये 1,42,950/– एवं दिनांक 16.05.2016 को राशि रूपये 64,900/– के स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प क्रय किये गये। उक्त स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प प्री प्रिन्टेड एग्रीमेन्ट पर लगा दिये गये थे। उक्त स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प का प्रार्थी कम्पनी के उपयोग में नहीं लिये गये है। जिसके संबंध में प्रार्थी कम्पनी का यह कथन है कि जिन प्री प्रिन्टेड एग्रीमेन्ट पर स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प लगाये गये थे उन पर अधिक मूल्य से स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गयी है। इस लिये उक्त स्टाम्प उपयोग में नहीं आ सके। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उल्लेखित उक्त कारण सद्भाविक एवं पर्याप्त है। राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की खण्डपीठ द्वारा निगरानी संख्या 866/2013/जयपुर में निर्णय दिनांक 20.04.2017 में उपयोग में नहीं आये एडहेसिव स्टाम्प को रिफण्ड योग्य माना है। वर्तमान प्रकरण उक्त न्यांयिक दृष्टांत से आच्छादित है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार वर्तमान प्रकरणों में उपयोग में नहीं लिये गये स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प रिफण्ड योग्य है।

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रार्थनाा पत्र स्वीकार किये जाते है तथा सम्बन्धित कलक्टर मुद्रांक उदयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वें प्रार्थी कम्पनी को मूल स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प राशि रूपये 39450/–, रूपये 1,42,950/– एवं राशि रूपये 64,900/– का बाद सत्यापन रिफण्ड नियमानुसार जारी करें। निर्णय की प्रति मूल एडहेसिव स्टाम्प जिनको प्री प्रिन्टेड एग्रीमेन्ट पर लगाया गया उन सहित कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर को भिजवाये जाये।

10. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जायें।

30/05/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य